मध्य प्रदेश सरकार कार्तिक की फिल्म के मामले में कार्रवाई करेगी : गृह मंत्री

कहा, फिल्म 'सत्यनारायण की कथा' की पुलिस जांच होगी

भोपाल, 4 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माताओं पर हिंदू-देवी देवताओं को आसानी से निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि कार्तिक आर्यन अभिनीत आगामी फिल्म 'सत्यनारायण की कथा' की जांच पुलिस करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

इस फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए एक संगठन ने कहा कि यह शीर्षक हिंदू देवताओं का अपमान है और संगठन ने फिल्म निर्माता से माफी की मांग की। फिल्म 'सत्यनारायण की कथा' का हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा, 'सभी फिल्म और वेब सीरीज निर्माताओं से मेरा आग्रह है कि वे हिंदू देवी-देवताओं को टारगेट करना बंद करें। वेब सीरीज 'सत्यनारायण' में विवादास्पद कंटेंट की जांच के लिए मैंने डीजीपी को निर्देशित किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।' पिछले माह निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने घोषणा की कि बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन उनकी आगामी फिल्म 'सत्यनारायण की कथा' में मुख्य भूमिका निभाएंगे।

मिश्रा ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों में हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाते हैं। उन्होंने पूछा कि ये फिल्म निर्माता कभी अन्य धर्मों के बारे में ऐसी फिल्में नहीं बनाते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसी फिल्म लिखी और बनाई हो? उन्होंने कहा कि वे यह नहीं कर सकते, हमारे देवी-देवता उनके लिए आसान निशाना हैं।

इससे पहले रविवार को संस्कृति बचाओ मंच नाम के एक हिंदू संगठन ने आगामी फिल्म 'सत्यनारायण की कथा' के निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, 'हमने रविवार को भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस फिल्म का निर्माण बंद किया जाए। मंच ने यह भी मांग की कि निर्माता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।' उन्होंने इस फिल्म के निर्माता से माफी की भी मांग की है।

> **फिल्म** के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए एक संगठन ने कहा कि यह शीर्षक हिंदू देवताओं का अपमान है और संगठन ने फिल्म निर्माता से माफी की मांग की।

किताब मामले में कलराज मिश्र का कड़ी कार्रवाई का निर्देश

जयपुर, 5 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी जीवनी पर आधारित कॉफी टेबल बुक के विपणन को लेकर उठे विवाद का संज्ञान लेते हुए सोमवार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस किताब के प्रकाशक द्वारा कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 19 पुस्तकों के बिल दिए जाने पर विवाद हो गया था। एक बयान के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में एक जुलाई को लोकार्पित पुस्तक 'कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं' के विक्रय के संबंध में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लेते हुए इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने सचिव को इस घटना से संबंधित लोगों का स्पष्टीकरण लेकर दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मिश्र की जीवनी पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन गुरुवार को यहां राजभवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने किया।

इस कार्यक्रम में राज्य के 27 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया था। पुस्तक के प्रकाशक ने किताबें कुलपतियों के वाहनों में रखकर बिल एक लिफाफे में रखकर वाहनों के चालकों को थमा दिए थे। जब कुलपति अपने अपने घर और कार्यालय पहुंचे तब उन्हें पता चला कि पुस्तक की कापियों के बिल का भुगतान प्रकाशक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को किया जाना है।

JYOTIRGAMYA ENTERPRISES LIMITED

CIN- L24100DL1986PLC234423
Reg. Off. : A1-G1, Ground Floor, Dilshad Garden, Shahdara, Delhi-110091
Ph. No. +91-9205562494; **Website:** www.jelglobe.com,
E-mail: jyotirgamyaenterprises@gmail.com

Extract of Audited Standalone Finncial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021

(Amount in Rs.)

Sr No.	Particulars	Quarter ended 31/03/2021	Quarter ended 31/03/2020	Year ended 31/03/2021	Year ended 31/03/2020
1.	Total Income from Operations	1,11,500	46,822	1,11,500	46,822
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,81,925)	(4,36,041)	(3,39,652)	(5,41,305)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(1,81,925)	(4,36,041)	(3,39,652)	(5,41,305)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,83,855)	(4,36,883)	(3,47,373)	(5,44,671)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	-	-	-	-
6.	Equity Share Capital	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	57,24,653	57,24,653	57,24,653	60,72,026
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	(0.08)	(0.19)	(0.15)	(0.24)

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on **https://www.bseindia.com/stock-share-price/jyotirgamya-enterprises-ltd/jel/539246/** and **www.jelglobe.com.**

b) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For Jyotirgamya Enterprises Limited
Sd/-
Sahil Minhaj Khan
(Managing Director)
(DIN: 06624897)

Place: Delhi
Date: 30.06.2021

सोनिया से आज मिल सकते हैं अमरिंदर

चंडीगढ़, 5 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही कलह के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि सिंह के मंगलवार सुबह दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पहुंचकर मुलाकात करने की संभावना है। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ लंबी बैठक की थी। माना जा रहा है कि इन बैठकों में कांग्रेस आलाकमान की ओर से सिद्धू को पार्टी या संगठन में सम्मानजनक स्थान की पेशकश के साथ मनाने का प्रयास किया गया। हाल के दिनों में सिद्धू लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं कर सकते। हाल के कुछ हफ्तों से सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्धू का कहना है कि गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम भी नहीं उठाए गए।

शिवसेना-भाजपा के संबंध आमिर खान-किरण राव जैसे : राउत

मुंबई, 5 जुलाई (भाषा)।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने अभिनेता आमिर खान और किरण राव के बीच तलाक के बाद के उनके रिश्ते का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा के राजनीतिक रास्ते अलग हैं लेकिन इन पूर्व गठबंधन सहयोगियों के बीच दोस्ती बनी हुई है।

राउत ने कहा, 'आमिर खान और किरण राव को देखिए। (उनके) रास्ते अलग हो गए हैं लेकिन (वे) दोस्त हैं। यहां भी ऐसा ही है। (हमारे) रास्ते अलग हो गए हैं , लेकिन दोस्ती बनी हुई है। राजनीति में दोस्ती बनी रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम (महाराष्ट्र में) सरकार बनाने जा रहे हैं। मतभेद हैं, लेकिन जैसा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं, हम (शिवसेना और भाजपा) भारत-पाकिस्तान नहीं हैं। बैठकें और बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। राजनीति में, हमारे रास्ते अलग हुए हैं।' राउत ने यह प्रतिक्रिया भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर दी, जिन्होंने कहा था कि दोनों दलों के बीच दुश्मनी नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में छूट बढ़ाई

अमरावती, पांच जुलाई (भाषा)।

कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी की पृष्ठभूमि में आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और छूट देने का सोमवार को फैसला किया। इसके तहत सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम और मैरिज हॉल 50 फीसद क्षमता के साथ आठ जुलाई से खोले जा सकेंगे। पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कर्फ्यू में सुबह छह बजे से शाम सात बजे की ढील दी जाएगी।

मादक पदार्थ कारखाना : मामले में वांछित को एनसीबी ने किया गिरफ्तार

मुंबई, 5 जुलाई (भाषा)।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके स्थित मादक पदार्थ के कारखाने के मामले में वांछित अपराधी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इस साल जनवरी में मादक पदार्थ बनाने वाले इस कारखाने का पता चला था। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि एनसीबी के एक दल ने आरोपी जमन हिदायतुल्ला खान उर्फ सोनू पठान को पायधोनी इलाके में तड़के पकड़ा था, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।

उन्होंने बताया कि एनसीबी ने कई बार जांच में शामिल होने के लिए पठान को समन भेजा, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पठान के अपने एक साथी से मिलने आने की जानकारी मिलने के बाद एजंसी ने इलाके में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया। इससे पहले, एजंसी ने मामले में भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी व दिवंगत माफिया डॉन करीम लाला के एक रिश्तेदार चिंकू पठान उर्फ परवेज खान और आरिफ भुजवाला को भी गिरफ्तार किया है।

विवाद के बाद युवक ने पड़ोसी की जान ली

पालघर (महाराष्ट्र), 5 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में 19 वर्षीय एक युवक ने विवाद के बाद सोमवार तड़के एक महिला की कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस ने इस बारे में बताया। पुलिस के प्रवक्ता सचिन नवादकर ने बताया कि आरोपी और 33 वर्षीय महिला दहानु तालुका में आगर के निवासी थे और कई मुद्दों पर उनका आए दिन विवाद होता रहता था। रविवार सोमवार की दरमियानी रात भी किसी बात पर उनका विवाद हुआ जिसके बाद आरोपी ने महिला पर धारदार हथियार से कथित रूप से कई बार वार किया। अधिकारी ने बताया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

"प्रपत्र सं. आइएनसी–26"

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और

मैसर्स एक्सपीरियनस फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : फ्लैट नंबर : ओ, सागर अपार्टमेंट, 6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001 में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 11.06.2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की ओर से
मैसर्स एक्सपीरियनस फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
श्री शुभम दुबे
निदेशक

तिथि : 05.07.2021
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन : 05142277

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनिमयन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 17 जुलाई, 2021 से बुधवार, 21 जुलाई, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक, शनिवार, 07 अगस्त, 2021 को आयोजित होने वाली कम्पनी की 27वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यों को अभिलेख पर लेने के उद्देश्य से बंद रहेंगे तथा कम्पनी के सदस्यों की स्वीकृति के अधीन लाभांश की घोषणा के उद्देश्य से शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 को अभिलिखित तिथि के रूप में निर्धारित की गई है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिये
हस्ता/–.
(सुमन कुमार)
ई.वी.पी. (कॉर्पोरेट कार्य) एवं कम्पनी सचिव
तिथिः 7 जुलाई, 2021
स्थानः नई दिल्ली

कॉर्पोरेट पहचान संख्या
(CIN: L74899DL1994PLC063609)
पंजीकृत कार्यालयः 11/6, बी, शांति चैम्बर पूसा रोड, नई दिल्ली–110005
Ph.: +91-11-30111000, 40753333
Fax: +91-11-25754365
E-mail: smc@smcindiaonline.com
Website: www.smcindiaonline.com

smc
Moneywise. Be wise.
CIN: L74899DL1994PLC063609

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के (5) (ए) मामले में

तथा

पीएसए एवीटीईसी पावर ट्रेन प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बिरला टावर, 7वां तल, 25 बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में है, के मामले में

.... आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "तमिलनाडु राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 23 सितम्बर, 2019 को आयोजित आवेदक कम्पनी की असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी–2 विंग, 3रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पीएसए एवीटीईसी पावरट्रेन प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तिथि– 5 जुलाई, 2021

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

राजौरी गार्डन शाखा
ए–2/48, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली –110027
फोनः 25454689, 25191913
ईमेलः RajouriGarden.Newdelhi@bankofindia.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इंडिया, राजौरी गार्डन शाखा** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक **08.04.2021** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी **मैसर्स एस2आर ज्वेल्स एंड ज्वैलरी** को नोटिस में वर्णित बकाया राशि **रू. 65,24,836.17 (रूपये पैंसठ लाख चौबीस हजार आठ सौ छत्तीस और पैसे सत्रह)** दिनांक 21.03.2021 से आगे के ब्याज सहित का भुगतान उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत, सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक **05 जुलाई, 2021** को ले लिया है।

ऋणी/गारन्टर को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपत्ति में किया गया कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ इंडिया, राजौरी गार्डन शाखा** के बकाया राशि **रू. 65,24,836.17/–** व उसपर ब्याज के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों/चल संपत्तियों का विवरण

कंपनी मैसर्स डिजायर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में संपत्ति के सभी भाग व अंश जिसमें खसरा संख्या 142/60/4 (0–15) से खाली प्लॉट शामिल है, जो कि सावित्री अस्पताल के पास, कांझावाला, कराला रोड, गांव कंझावाला के विस्तारित लाल डोरा आबादी, (इंडियन ऑयल पंप के पीछे) दिल्ली 110081 में 750 वर्ग गज में स्थित है जिसमें पंजीकरण उप–जिला VI और जिला दिल्ली।

चौहद्दीः
उत्तर मेंः 50 फुट चौड़ी सड़क, **दक्षिण में**ः 16.5 फुट चौड़ी सड़क
पूर्व मेंः संपत्ति संख्या 142/61, **पश्चिम में**ः संपत्ति संख्या 142/59

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 05.07.2020
प्राधिकृत अधिकारी,
(बैंक ऑफ इंडियाः राजौरी गार्डन शाखा)

MIDAS INFRA TRADE LIMITED

Regd. Off. : 301, 2633-2634, BANK STREET, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005
CIN: L65910DL1994PLC062379, **Email:** midasinfratrade@gmail.com, **Website:** www.mitl.org.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31 MARCH 2021

(Rs in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 Audited	Quarter Ended 31.12.2020 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2020 Audited	Year Ended 31.03.2021 Audited	Year Ended 31.03.2020 Audited
1	INCOME					
	a) Revenue from Operation	16.13	4,632.57	1,330.22	7,159.33	11,751.20
	b) Other Income	176.44	-	14.37	176.64	14.37
	Total Income	**192.56**	**4,632.57**	**1,344.59**	**7,335.96**	**11,765.57**
2	Expenses					
	i) Cost of Material Consumed	45.42	653.60	-3,693.02	1,617.68	1,939.65
	ii) Purchase of Stock in Trade	-0.00	34.38	4,989.67	1,370.66	9,837.38
	iii) Change in Inventories of Finished Goods, Work in Progress and Stock in Trade	0.00	4,024.46	-202.11	4,146.56	-1,010.79
	iv) Finance Cost	0.11	0.43	0.34	0.73	1.03
	v) Employees benefit expense	0.46	0.16	52.23	42.05	281.60
	vi) Depreciation and amortisation Expense	21.54	21.90	20.58	86.29	75.21
	vii) Other Operating Expenses	74.68	26.03	243.83	211.78	590.22
	Total Expenses	**142.20**	**4,760.96**	**1,411.52**	**7,475.74**	**11,714.29**
3	Profit before provision, exceptional Items and tax (1-2)	**50.36**	**-128.39**	**-66.93**	**-139.78**	**51.28**
4	Provision/Write-off for Bad & Doubtful Debts/Investments	-	-	-	-	-
5	Profit before exceptional Items and tax (3-4)	**50.36**	**-128.39**	**-66.93**	**-139.78**	**51.28**
6	Exceptional Items	-	-	-	-	-
7	Profit Before Tax (5-6)	**50.36**	**-128.39**	**-66.93**	**-139.78**	**51.28**
8	a) Tax Expense	-	-	-15.44	-	15.00
	b) Deferred Tax (Asset)/Liability	8.10	-	0.14	8.10	0.14
	c) MAT Credit Entitelment	-	-	-	-	-
9	Profit from continuing operations (7-8)	42.26	-128.39	-51.63	-147.88	36.14
10	Profit(+)/Loss(-) for the period from discontinuing operations	-	-	-	-	-
11	Tax Expenses of discontinuing operations	-	-	-	-	-
12	Profit(+)/Loss(-) for the period from discontinuing operations after tax (10-11)	-	-	-	-	-
13	Profit/(Loss) for the period (9+12)	42.26	-128.39	-51.63	-147.88	36.14
14	Other Comprehensive Income					
A	(i) Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-
	(ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-
B	(i) Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-
	(ii) Income tax relating to Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-
	(iii) Other Comprehensive Income I (loss) net of tax	-	-	-	-	-
	Profit/(Loss) for the period (A+B)					
15	Total Comprehensive Income /(loss) (after tax) (9+14)	**42.26**	**-128.39**	**-51.63**	**-147.88**	**36.14**
16	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
17	Other Equity (Reserves excluding revaluation reserve)	42.26	284.55	-	326.81	**474.69**
18	Earning Per Share (EPS) - Basic (Rs.)	0.04	-0.11	-0.04	-0.12	0.03
	Earning Per Share (EPS) - Diluted (Rs.)	0.04	-0.11	-0.04	-0.12	0.03

Notes:

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 03 July,2021 and have undergone the "Limited Review" by Statutory Auditors of the company.
2. The Company is engaged in the business off Jewellery and as such there are no separate reportable segments as per Indian Accounting Standard "Operating Segment" (IND AS- 108).
3. The statement is as per the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

For **Midas Infra trade Ltd**
Sd/-
Rajnish Chopra
Managing Director

Date : 03.07.2021
Place : Delhi

शाखा का पताः फेडरल बैंक, 1–4, कॉन्वेनिएन्ट शॉपिंग सेन्टर, वेस्टएंड, नई दिल्ली–110021

फेडरल बैंक आपका सम्पूर्ण बैंकिंग पार्टनर
पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

गोल्ड की निजी बिक्री के लिये सूचना

सभी संबंधितों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं में निम्न गोल्ड ऋण खाताओं में गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों जो विमोचन के लिये अधिशेष हैं तथा जिसे बार–बार सूचना देने के बावजूद अभी तक विनियमित नहीं किया गया है, को नीचे वर्णित रूप में 26.07.2021 को या उसके बाद शाखा में नीलामी के लिये रखी जायेगीः

शाखा/स्थान	खाता संख्या	नाम	खाता संख्या	नाम
फेडरल बैंक, 1–4, कॉन्वेनिएन्ट शॉपिंग सेन्टर, वेस्टएंड, नई दिल्ली–110021	11946200004118	सरबजोत सिंह	11946100065722	शिखा सेवानी
	11946200003870	सूरज सुदर्शन	11946100065706	शिखा सेवानी
	11946200003938	सूरज सुदर्शन	11946100065730	शिखा सेवानी
	11946100065862	साहिल सेवानी	11946100066324	शिखा सेवानी
	11946100065748	साहिल सेवानी	11946100066472	शिखा सेवानी
	11946100065813	साहिल सेवानी	11946100066514	शिखा सेवानी
	11946100065698	शिखा सेवानी		

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 5.7.2021
शाखा प्रबंधक, द फेडरल बैंक लि

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार हैः

ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
श्री देव ऋषि पाण्डेय श्रीमती सुषमा पाण्डेय (प्रॉस्पेक्ट नं. 806552)	28 जून, 2102 रु. 15,77,992/– (रुपये पन्द्रह लाख सतहत्तर हजार नौ सौ बानवे मात्र)	प्लॉट न. 20, 21 तथा 22 पर निर्मित मकान, माप 600 वर्ग फीट, खसरा नं. 59 मिनजुमला पर, ग्राम सैदपुर जागीर, बक्शी-का-तालाब, लखनऊ, पिन कोडः 226021, उत्तर प्रदेश, भारत में निर्मित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल ऋणधारकों की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया शाखा कार्यालयः 1017, दसवां तल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 तथा टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

स्थान : लखनऊ, तिथि : 6.7.2021
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बेहरामपुर रोड, खंडसा गांव, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, भारत
Tel: +91 (0124)-4809756 | **E mail:** atml_delhi@yahoo.com
Website: www.ashnoortex.com | **CIN:** L17226HR1984PLC033384

शेयर प्रमाणपत्र गुम होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा जारी की गई निम्न शेयर प्रमाणपत्र के गुम होने अथवा स्थानच्युत होने की सूचना मिली है तथा उसके पंजीकृत शेयरधारक ने डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कम्पनी में आवेदन किया है।

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	फोलियो संख्या	शेयरों की सं.	प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्याएं
1.	नरेन्द्र ए. बखरिया	0021076	56	7406	8571483–8571538

आम जनता को उपरोक्त शेयर प्रमाण पत्र के साथ किसी भी रूप में क्रय अथवा व्यवसाय करने के प्रति सतर्क किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्र के प्रति किसी प्रकार का कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई करेगी।

अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
सुनीत गुप्ता
प्रबंध निदेशक
DIN-00052084

स्थानः गुरुग्राम
तिथिः 5 जुलाई, 2021

JSL JINDAL STAINLESS

जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड

CIN: L26922HR1980PLC010901
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499
निवेशकों हेतु ई-मेल आईडी: investorcare@jindalstainless.com
वेबसाइट : www.jslstainless.com

सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

कम्पनी के प्रति शेयर 10/- रुपये अंकित मूल्य के पुराने इक्विटी शेयर (9.3.2004 से पहले जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
7829	सुभद्रा बागमल बख्शी; मुकुल बागमल बख्शी	200923	20898053-20898089	37
7830	उर्मिला मुकुल बख्शी; मुकुल बागमल बख्शी	200924	20898090-20898126	37
22116	लाइकूर रहमान खान	202277	21011828-21011843	16
903024	लाइकूर रहमान खान; शाहनाज खान	229341	22708426-22708457	32
10832	ज्योति प्रकाश पाई; प्रकाश जी पाई	201238	20962180-20962204	25

कृते **जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड**
हस्ता/-
(नवनीत रघुवंशी)
कम्पनी सचिव

तिथि : 5 जुलाई, 2021
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र–'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**श्री सी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	9 जुलाई 2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज– नई दिल्ली कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70200DL2010PTC205607
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** सी–23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, भाग–I, नई दिल्ली –110048 **कार्पोरेशन कार्यालय:** (आर/ओ के अलावा पता जहां खाते और कागजात की सभी या कोई भी किताबें रखी जाती हैं): टेक बुलेवार्ड, सेंटर ब्लॉक, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 127, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	28 अगस्त 2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	06 जुलाई 2021
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता :	विवरण वेबसाइट **www.lotuszing.in** पर उपलब्ध है या इसे **threecprojects.ip@gmail.com** पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। **पात्रता मानदंड:** किसी भी निवेशक के लिए न्यूनतम निवल मूल्य 10 करोड़ रुपये
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंड:	विवरण वेबसाइट **www.lotuszing.in** पर उपलब्ध है या इसे **threecprojects.ip@gmail.com** पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	21 जुलाई 2021
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	31 जुलाई 2021
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	05 अगस्त 2021
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	10 अगस्त 2021
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	05 अगस्त 2021
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स, संकल्प योजनाओं के लिए अनुरोध और किसी भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रम संख्या 21 में उल्लिखित पते पर समाधान प्रोफेशनल के साथ संवाद कर सकते है।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	10 सितम्बर 2021
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	ईमेल आईडी **threecprojects.ip@gmail.com** पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत डिलीवरी द्वारा
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	10 अक्टूबर 2021
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**मनीष कुमार गुप्ता** **पंजी.सं.** : IBBI/IPA-001/IP-P00225/2017-18/10424
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**मनीष कुमार गुप्ता** 404, चौथी मंजिल, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092 **ईमेल:** manishvivek@yahoo.com
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**मनीष कुमार गुप्ता** 404, चौथी मंजिल, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092 **ईमेल:** threecprojects.ip@gmail.com **सम्पर्क नं.:** 9810771477
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	**threecprojects.ip@gmail.com** पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	**06 जुलाई 2021**

नोट: फॉर्म–जी मूल रूप से 05 दिसंबर 2019 को प्रकाशित किया गया था, फिर अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की तारीख के विस्तार के साथ 1 जनवरी 2020 को पुनर्प्रकाशित किया गया था। जबकि, सीए संख्या 2863/2019 का उल्लेख करते हुए माननीय एनसीएलटी ने आरपी को आदेश दिनांक 04.09.2020 के माध्यम से समाधान योजना के मतदान परिणामों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद समाधान आवेदक ने स्थगनाधीन समाधान योजना को वापस लेने के लिए माननीय एनसीएलटी के समक्ष सीए 4224/2020 के तहत आवेदन दायर किया। आदेश के तहत 01.06.2021 को अनुमति दी गई और तदानुसार समाधान योजना वापस ले ली गई थी। अब, आरपी फिर से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को आमंत्रित कर रहा है और 06.07.2021 को इसे फिर से प्रकाशित कर रहा है।

मनीष कुमार गुप्ता
समाधान प्रोफेशनल, श्री सी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00225/2017-18/10424

तिथि : 05 जुलाई 2021
स्थान : नई दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
आन्ध्रा ANDHRA
कार्पोरेशन Corporation

(पंजाबी बाग ईस्ट)
डब्ल्यूजेड–15, छन्ना मल पार्क, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिये)
अनुसूची–6 [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एंव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाबी बाग ईस्ट शाखा, डब्ल्यूजेड–15, मनोहर पार्क, पंजाबी बाग ईस्ट, नई दिल्ली–110026 (भारत) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों एवं गारंटरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 29.06.2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक/भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण
1.	**श्रीमती सोनल सेठी, पत्नी राहुल शर्मा**	8.4.2021 रु. 2540116.65 तथा उस पर ब्याज	श्रीमती सोनल सेठी, पत्नी श्री राहुल शर्मा के नाम में कौशिक भवन, छोटा हनुमान वाली गली, बोराह, संत कॉलोनी, बहादुरगढ़ टीचर्स कॉलोनी, झज्जर, हरियाणा–124507 में स्थित 526–ए (पुराना नं.), भू तल, एच.नं. 149 (नया नं.) खसरा नं.2403 (0–8), 2404 (0–12) में। चौहद्दीःउत्तरः जे.आर. कौशिक का मकान, दक्षिणः 12 फीट गली, पूर्वः भल्ला बत्रा का मकान, पश्चिमः दिनेश गुप्ता का मकान
2.	**श्री अमित जैकब सिंह** **श्रीमती शबनम सिंह**	8.4.2021 रु. 28,38,463.41 तथा उस पर ब्याज	श्री अमित जैकब सिंह तथा श्रीमती शबनम सिंह के नाम में पॉकेट–12, सेक्टर–12, आवासीय स्कीम, रोहिणी, दिल्ली–110086 में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय निर्मित सम्पूर्ण भू तल, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति सं. 67 का भाग, माप 48 वर्ग मी., उक्त सम्पत्ति की भूमि के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों के साथ (एरिया 48.00 वर्ग मी.) चौहद्दीः उत्तरः मकान सं. 66, दक्षिणः मकान सं. 68, पूर्वः प्रवेश/रोड, पश्चिमः सर्विस लेन

तिथिः 29.6.2021, स्थानः नई दिल्ली
(प्राधिकृत अधिकारी) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

www.readwhere.com